

कार्यालय नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)

क्रमांक 247/रा.वि./न.पा.नि./2018

अम्बिकापुर दिनांक 23/03/2018

-: सार्वजनिक सूचना :-

एतद् द्वारा सर्व-साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि, नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर के स्वामित्व की प्रतिक्षा बस स्टैण्ड में प्रथम तल पर बनी दुकानों का आबंटन निर्धारित प्रीमियम (जो कभी वापसी योग्य नहीं होगा) तथा मासिक किराये पर किये जाने हेतु स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डांक द्वारा दिनांक 07.04.2018 को अपरान्ह 3.00 बजे तक निर्धारित प्रारूप में शील्ड ऑफर आमंत्रित किये जाते हैं। प्राप्त ऑफर दिनांक 07.04.2018 को ही उपस्थित ऑफरदाताओं के समक्ष अपरान्ह 4.30 बजे अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा खोले जायेंगे तथा दिनांक 05.04.2017 तक ऑफर प्रपत्र का निर्धारित शुल्क भुगतान उपरान्त निगम के राजस्व कार्यालय (केदारपुर स्थित प्रशासनिक भवन के राजस्व शाखा) से ऑफर प्रपत्र प्राप्त किये जा सकते हैं। ऑफर प्रपत्र के साथ निगम का कोई बकाया नहीं प्रमाण-पत्र एवं जमा अमानत राशि बैंक ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक, जो आयुक्त नगर पालिक निगम अम्बिकापुर के पक्ष में देय हो संलग्न करना अनिवार्य होगा। अपूर्ण एवं बिना अमानत राशि जमा किये तथा निर्धारित तिथि एवं समयावधि समाप्ति के पश्चात् तथा निर्धारित प्रीमियम से कम प्रीमियम राशि का कोई भी ऑफर स्वीकार्य नहीं किया जायेगा। प्राप्त ऑफर को किसी भी स्तर पर स्थगित करने या स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार आयुक्त/महापौर, नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर के पास सुरक्षित होगा।

विवरण:-

क्र.	दुकान का क्षेत्र	दुकान की स्थिति	दुकानों की संख्या	दुकान क्रमांक	दुकान का आकार	निर्धारित प्रीमियम (प्रति दुकान)	मासिक किराया (प्रति दुकान)	धरोहर राशि (प्रति दुकान)	आवेदन शुल्क (प्रति दुकान)
1	प्रतिक्षा बस स्टैण्ड	प्रथम तल	22	2,4,6,7,8,9,10,12, 14,16,18,21,23,24, 25,27,29,30,31,32, 33 एवं 35	4.00 x 3.65 m.	05.16 लाख	2826/-	51,600/-	500/-

- नोट :-1. आरक्षित वर्ग की दुकानों का ऑफर उन्हीं वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा ही प्रस्तुत किया जायेगा तथा ऑफर प्रपत्र के साथ आरक्षित वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
2. आरक्षण रोस्टर एवं अन्य शर्तें निगम कार्यालय के राजस्व शाखा (केदारपुर स्थित प्रशासनिक भवन) में कार्यालयीन कार्य दिवस एवं समयावधि में अवलोकन किया जा सकता है, जो उपरोक्त शर्तों की पूरक होगी।
3. ऑफर प्रपत्र के साथ संलग्न नियम एवं शर्तों की प्रति पर भी हस्ताक्षर कर ऑफर प्रपत्र के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
अम्बिकापुर